ग्राम पंचायत बराण, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.14 से 31.3.17

भाग–एक

1 प्रस्तावनाः–

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बराण, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः–

(i) प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती सीमा देवी	1.4.14 से 22.1.2016
2	श्री चन्दू राम	23.1.2016 से लगातार

(ii) सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री हीरा लाल	1.4.14 से 18.11.16
2	श्री ओम प्रकाश	19.11.16 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत के लेखाओं अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का अन्तशेष बैंक खातों से मिलान न करने के कारण दिनांक 31.3.17 के अन्तशेष में भारी अन्तर	0.55
2	6	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.94
3	9	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	2.57

4	10	अनुदान का उपयोग न करना	11.00
5	12	मजदूरी के रूप में अधिक भुगतान	0.05

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत बराण, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विकास धवन अनुभाग अधिकारी तथा श्री महेन्द्र सिंह, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 4.10.17 से 11.10.17 तक पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय व व्यय के लिए क्रमशः 8/14, 02/16 व 2/17 तथा 12/14, 2/16 व 12/16 मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत बराण, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD(211)/2017-119 दिनांक 11.10.17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बराण से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत बराण द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

(i) स्वः स्त्रोत व अनुदानः– ग्राम पंचायत बराण के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक स्वः स्त्रोत व अनुदानों की (**परिशिष्ट–1**) वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015–15	1055833.25	1443165.00	36775	2535773.25	1290274.55	1245498.70
2015–16	1245498.70	2371276.88	51328	3668103.58	2143166.98	1524936.60
2016–17	1524936.60	1974282.00	70070	3569288.60	1919168.00	1650120.60

(ii) मनरेगाः– (परिशिष्ट–2)

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015–15	शून्य	80000	694	80694	416051	–
2015–16	–	–	–	–	513860	–
2016–17	–	–	–	–	954779	शून्य

		राशि (₹)
(i)	दिनांक 31.3.17 को बैंक खातों के अनुसार अन्तिम शेष **(परिशिष्ट–3 (क)**	1705385.60
	जमाः– हस्तगत राशि	(+) 154.00
	कुल	₹1705539.60
(ii)	दिनांक 31.3.17 को वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तिम शेष	(–)1650120.60
(iii)	अन्तर	₹55419.00

4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण दिनांक 31.3.17 को अन्तशेष में ₹0.55 लाख का भारी अन्तरः–

ग्राम पंचायत बराण की रोकड़ बही के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अंकेक्षण अवधि के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही के अन्तिम शेष व बैंक खातों के अन्तिम शेष **(परिशिष्ट–3)** में ₹55419 का अन्तर था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए

पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ अतिशीघ्र मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 नियमानुसार अनुदान के लिए अलग बैंक खातों का रख रखाव न करनाः–

ग्राम पंचायत बराण के लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों के लिए एक ही बैंक खाता संख्या 20035003490 का उपयोग/रख रखाव किया जा रहा था जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या PCH-HA(5)C(15)-13 (1) 5-47005-81 दिनांक 15.2.12 के अनुसार प्रत्येक योजना के लिए पृथक–2 बैंक खाता खोलना अपेक्षित था तथा प्राप्त ब्याज को उसी योजना में व्यय किया जाना अपेक्षित था। अतः भविष्य में पत्र संख्या PCH-HA(5)C(15)-13(1)5-47005-81 दिनांक 15.2.12 के निर्देशानुसार बैंक खातों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.3 स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त आय व व्ययों का विवरणः–

ग्राम पंचायत बराण द्वारा प्रस्तुत रोकड़ बहियों के अनुसार ग्राम पंचायत बराण के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त आय व व्ययों का विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–4 (क से घ)** में दिया गया है।

5 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखनाः–

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा दिए गए विवरणानुसार हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था जोकि पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों में विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	अवधि	हस्तगत राशि (₹)
1	16.9.15 से 22.9.15	1291
2	23.9.15 से 6.10.15	1956
3	7.10.15 से 8.10.15	2081
4	9.10.15	2411
5	10.10.15 से 13.10.15	3101
6	8.2.16	3106

7	9.2.16	5021
8	12.2.16 से 15.2.16	5481
9	16.2.16	5681
10	18.2.16 से 25.2.16	6081
11	26.2.16	6156
12	27.2.16 से 29.2.16	4015
13	1.3.16 से 10.3.16	4015

6 पंचायत राजस्व ₹0.94 लाख वसूली हेतु शेषः—

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2017 तक पंचायत के राजस्व ₹93830 की वसूली शेष थीः—

(i) गृहकरः— परिशिष्ट—5

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2014—15	17080	9630	26710	10	26700
2015—16	26700	9630	36330	7870	28460
2016—17	28460	52180	80640	310	80330

(ii) मोबाईल टावरः— परिशिष्ट—5

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2014—15	11000	4500	15500	—	15500
2015—16	15500	4500	20000	9000	11000
2016—17	11000	4500	15500	2000	13500

टावर संख्या—2

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

7 बजट प्राक्कलन फार्म—11 में तैयार न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म—11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन फार्म—11 में तैयार न करके कार्यवाही रजिस्टर में ही बनाया गया था। अतः बजट प्राक्कलन नियमानुसार

G.P. Bran

न बनाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

8 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन जाँच हेतु उपलब्ध न करवानाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यो का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिए गए विवरणानुसार कार्यों के प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन जाँच हेतु पंचायत में उपलब्ध नहीं थे। अतः निम्न कार्यों के प्रशासनिक स्वीकृति व प्राक्कलन आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	अनुदान	कार्य का नाम	व्यय माह	व्यय राशि	स्वीकृत राशि
1	13th FC	खाता नारायण सामुदायिक भवन गाँव पूजन	12/2014	44556	100000
2	VMJSY	नि0 किचन व सराय नजदीक नीलकण्ठ महादेय मन्दिर, बराण	2/2016	430659	999000

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹2.57 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रयः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएँ अर्थात निविदाएं आमन्त्रित करना आदि प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट—6** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹256893 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 अनुदान ₹11.00 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट "7"** के अनुसार दिनांक 31.3.17 को ₹1099913 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ सरकारी योजनाओं के ग्रामीणों को होने वाले लाभ वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान राशि के विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अधिक बढ़ौतरी से स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रर्त्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr.No.	Name of Register
1	T.A. Check Register
2	Temporary Advance Register
3	Bill Register
4	Cheque issue/Receipt Register
5	Mobile Tower annual fees Register
6	Staionery Register

12 मजदूरी के रूप में ₹0.05 लाख का अधिक भुगतानः–

मनरेगा के व्यय वाउचरों/मस्ट्रोल की जाँच में पाया गया कि रोकड़ बही पृष्ठ 98 माह 12/2014 मस्ट्रोल संख्या 3056 अवधि 20.11.14 से 4.12.14 कार्य निर्माण सिंचाई टैंक, गाँव शामा में कार्यरत्त लाभार्थियों श्री चाँद किशोर (मिस्त्री) की 9 उपस्थितियाँ व श्री धर्मचन्द

(मिस्त्री) की शून्य उपस्थितिया दर्ज की गई थी, जबकि श्री चाँद किशोर को ₹271 प्रतिदिन के हिसाब से 13 दिनों के ₹3523 व श्री धर्मचन्द को भी 13 दिनों के ₹3523 का भुगतान किया गया जोकि वास्तव में दर्ज कार्य दिवसों के आधार पर ₹4607 अधिक था। अतः मस्ट्रोल के अनुसार कुल भुगतान ₹7046 का पूर्ण स्पष्टीकरण अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 सत्यापित उपस्थिति विवरणी की अनुपस्थिति में जलरक्षकों को ₹0.08 लाख के मानदेय का अनियमित भुगतानः–

अंकेक्षण अवधि के व्यय वाउचरों की जाँच में पाया गया कि सामान्य रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 9 दिनांक 11.2.16 वाउचर संख्या 143 माह 2/2016 द्वारा जलरक्षकों को मानदेय ₹8100 का भुगतान किया गया जबकि वाउचर के साथ सत्यापित उपस्थिति विवरणी संलग्न नहीं थी। उपस्थिति विवरणी को सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाए बिना किया गया भुगतान अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः निम्न अवधि की उपस्थिति विवरणी प्राप्त करके व सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाकर आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	नाम	अवधि	राशि (₹)
1	श्री नरित राम, जलरक्षक	अवधि 7/15 से 9/15	4050
2	श्री हीरा लाल, जलरक्षक	–यथोपरि–	4050
		कुल	**₹8100**

14 वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें जाँच हेतु उपलब्ध न होनाः–

अंकेक्षण अवधि के व्यय वाउचरों की जाँच में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार भुगतानों की वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें जाँच हेतु उपलब्ध नहीं थी। अतः निम्न भुगतानों की वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें (APR) प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	अनुदान	रोकड़ बही पृ0	फर्म का नाम	राशि (₹)
1	13th FC SDP	254/1.12.14	मै0 हिमालयन स्टोन क्रेशर	24960
2	13th FC	257/26.12.14	मै0 हरि ओम ट्रेडर्ज पतलीकूहल	12400
3	VMJSY	9/11.2.16	मै0 मनोहर टिम्बर एंड अलाईस इन्डस्ट्रीज	119989
4	-do-	11/27.2.16	मै0 जीत सिंह बहल पतलीकूहल	20800

G.P. Bran

5	-do-	–यथोपरि–	मै0 स्कीरनी ईन्टरप्राईजिज पतलीकूहल	25798

15 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई।

17 निष्कर्षः– पंचायत के लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(3) 20/2017–खण्ड–1–2540–2543 दिनाँक 11.04.2018 शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0प्र0
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नग्गर जिला कुल्लू, हि0प्र0

पंजीकृत 4. सचिव, ग्राम पंचायत बराण, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881